

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 04/2018 निगरानी

उनवान

1. श्री उगमलाल पिता मोहनलाल माली निवासी आटूण, तहसील एवं भीलवाड़ा
निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत आटूण, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा, (राज0) जरिये सचिव/संरपच
2. श्री भंवरसिंह पिता तखतसिंह राजपूत निवासी आटूण, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

निगरानी विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत आटूण पट्टा सं0 79 दिनांक 29.02.1988

- उपस्थित :- 1. श्री नानूलाल तेली अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री आर0 एस0 विजयवर्गीय, अधिवक्ता – गैर निगराकार सं0 2 की ओर से



निर्णय

दिनांक 21.10.2018

निगराकार ने अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी सं0 2 के पक्ष में ग्राम आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी सं0 1491 के भू-भाग में निम्न पडौसों के मध्य एक भूखण्ड सं0 68 नपति 30 गज बाई 40 गज क्षेत्रफल को बापी पट्टे पर देने का निर्णय प्रचलित विधि व नियमों की बिना पालना किये किया गया। जबकि बापी पट्टे पर भूमि दिये जाने/विक्रय करने के बारे में प्रचलित राजस्थान पंचायतराज अधिनियम व इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार बने हुए प्रावधानों की पालना किया जाना लाजमी था एवं इसके अभाव में भूमि दिये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही मूलतः अवैध एवं विधि विरुद्ध होकर शून्य प्रभावी होने से निगराकार ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

पट्टे में बताये गये पडौस निम्न प्रकार है :-

पूर्व – प्लाट संख्या 69

पश्चिम – प्लाट सं. 67

उत्तर – रास्ता 30 फीट

दक्षिण – प्लाट सं0 76

विपक्षी सं0 1 ने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1953 के नियम 256 से 265 तक के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना किये बिना विपक्षी सं0 2 के पक्ष में आबादी भूमि का पट्टा अवैध तौर जारी किया हैं। विपक्षी सं0 1 ने पट्टा जारी किये जाने में भारी अवैधानिकता कारित की हैं। इस कारण जारीशुदा पट्टा अवैध, शून्य व निष्प्रभावी होकर


निरस्त होने योग्य है। वस्तुतः विपक्षी सं० 1 के यहां विपक्षी सं० 2 के पक्ष में जारी किये गये पट्टे की कोई पत्रावली ही अस्तित्व में नहीं हैं। विपक्षी सं० 2 ने तात्कालीन ग्राम पंचायत आटुण के सरपंच तखतसिंह जो कि गैर निगराकार सं० 2 के पिता हैं से मिलीभगत कर फर्जी तौर पर बापी पट्टा तैयार किया है। जिसे अपास्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। विपक्षी सं० 2 के नाम उक्त जारीशुदा पट्टा प्रथम दृष्टया ही फर्जी एवं कूटरचित है। फिर भी विपक्षी सं० 2 उक्त फर्जी एवं कूटरचित बापी पट्टे को असल के रूप में प्रयुक्त कर निगराकार के पुश्तैनी भूखण्ड को हड़प करना चाहता है। जारीशुदा पट्टे में भारी काट छंट हैं। नाम व पिता के नाम में काट छंट है तथा आराजी नम्बर में भी काट छंट है। यदि इस प्रकार का कोई पट्टा विपक्षी सं० 1 द्वारा विपक्षी सं० 2 के नाम विधिवत जारी किया जाता तो पट्टे में की गई काट छंट में विपक्षी सं० 1 के पदाधिकारियों के लघु हस्ताक्षर एवं पंचायत की मोहर अंकित होती। चूंकि जारीशुदा पट्टा फर्जी एवं कूटरचित है इसमें की गई काट छंट पर लघु हस्ताक्षर अथवा विपक्षी सं० 1 की कोई मोहर अंकित नहीं है। जारीशुदा पट्टे में आराजी संख्या में भी काट छंट हैं तथा आराजी सं० 1491 में पट्टा जारी होना अंकित कर रखा है, लेकिन आराजी सं० 1491 में ऐसा कोई भूखण्ड स्थित नहीं है।

विपक्षी सं० 02 के पक्ष में जारी किये गये विवादित पट्टे में वर्णित भूखण्ड का न तो नक्शा तैयार किया गया, न पंचायत व मनोनीत सदस्यों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। न निरीक्षण हेतु विधिवत 3 सदस्यों की कमेटी ही गठित की गई। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही आपसी मिलीभगत में एवं पंचायत कार्यालय में गैर निगराकार सं० 2 एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत आटुण के सरपंच तखतसिंह जो कि गैर निगराकार सं० 2 के पिता हैं ने बैठकर वैध पट्टा फर्जी एवं कूटरचित तैयार किया है जो अवैध एवं विधि विरुद्ध होकर अपास्त होने योग्य है।

विवादित पट्टे की आड़ में विपक्षी सं० 2 निगराकार के पुश्तैनी भूखण्ड पर नाजायज तरीके से काबिज होना चाहता है। जिसका उसे कोई हक अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं० 2 के पक्ष में जारीशुदा पट्टे को अपास्त कराने के लिए पट्टे की नकल विपक्षी सं० 1 से प्राप्त करने का प्रयास किया तो विपक्षी सं० 1 के सरपंच एवं सचिव ने दिनांक 19.05.2017 को इस आशय का प्रमाणपत्र जारी किया कि विपक्षी सं० 2 के पट्टे वाली पत्रावली सं० 157 संवत् 2044 दिनांक 28.03.1987 से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। गैर निगराकार सं० 2 ने निगराकार के पुश्तैनी भूखण्ड जिसका कि विवरण उक्त आक्षेपित पट्टे में वर्णित है को हड़प करने की गरज से गैर निगराकार सं० 2 ने निगराकार के विरुद्ध एक गलत एवं मिथ्या वादपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किये। जिसमें उक्त फर्जी एवं कूटरचित पट्टे को पेश किया गया। उसमें से निगराकार द्वारा प्राप्त की गई प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 07.11.2017 के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

राजस्थान पंचायत सामान्य नियम के नियम 256 के अनुसार प्रार्थनापत्र के साथ भूमि का नक्शा तैयार करने की कोई फीस जमा नहीं कराई गई। नियम 257 के अनुसार प्रारूप सं० 49 में संधारित रजिस्टर में प्रार्थनापत्र का इन्द्राज किया जाता है तथा




जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

ऐसे प्रार्थनापत्र पर पत्रावली कायम की जाकर राजस्थान पंचायत सामान्य नियम के नियम 258 के अनुसार कम से कम तीन पंचों द्वारा भूखण्ड का मौका निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। जबकि मामले में ऐसी कोई कार्यवाही होना प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार 3 पंचों द्वारा भूमि का स्थानीय निरीक्षण नहीं किया गया एवं न याददाश्त पर्चा मौका मौतबिरान की मौजूदगी में तैयार कर उनके हस्ताक्षर की कराये गये। इस प्रकार पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार संपादित नहीं होने के आधार पर विवादित पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

मामले में नियम 260 के अनुसार पंचायत द्वारा प्रारूप 50 में कोई सूचनापत्र प्रकाशित नहीं किया गया, न कोई आपत्ति ही मांगी गई। नियम 259 के अनुसार अंतरिम निर्णय भी नहीं लिया गया। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम के नियम 260 के अनुसार भूखण्ड देने बाबत आपत्तियां मांगने का उद्घोषणा पत्र भी 30 दिवस की अवधि का जारी नहीं किया गया। विवादित पट्टे की राशि दिनांक 29.02.1988 को जमा होने का उल्लेख भी बनावटी व गलत तौर किया गया है। इस प्रकार विपक्षी सं० 1 ने भूखण्ड विपक्षी सं० 2 को देने से पूर्व उपरोक्त आदेशात्मक विधिक प्रावधानों की कोई पालना नहीं की है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं विधि विरुद्ध होकर अपास्त होने योग्य है। विपक्षी सं० 2 के नाम का वादग्रस्त पट्टा उपरोक्त अनुसार मूलतः अवैध व विधि विरुद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है। विवादित भूखण्ड पर गैर निगराकार सं० 2 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, न ही वर्तमान में है। विवादित भूखण्ड निगराकार का पुश्तैनी भूखण्ड है जिस पर निगराकार का अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा एवं हक अधिकार चला आ रहा है। विवादित पट्टे में वर्णित भूखण्ड के पडौस भी गलत अंकित है। पश्चिम में सरकारी पड़त भूमि अंकित कर रखी है जबकि पश्चिम में कोई पड़त भूमि नहीं होकर निगराकार के मालिकाना हक की भूमि स्थित है।

विवादित पट्टे की निगराकार को पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है। अभी हाल ही में निगराकार ने उक्त फर्जी एवं कूटरचित पट्टे के आधार पर एक दिवानी वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया तो उक्त वाद में गैर निगराकार सं० 2 ने उक्त फर्जी एवं कूटरचित पट्टे पेश किये जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 07.11.2017 को प्राप्त होने पर यह निगरानी बिना किसी देरी के अविलम्ब पेश की जा रही है। निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी सं० 01 द्वारा पत्रावली संख्या 157 संवत् 2044 दायर दिनांक 28.03.1987 के आधार पर विपक्षी सं० 2 के पक्ष में जारी उक्त बापी पट्टे को अवैध एवं विधि विरुद्ध होने से अपास्त कराया जावे।

प्रकरण दिनांक 02.01.2018 को दर्ज रजिस्टर कर गैर निगराकार के सम्मन जारी किये। गैर निगराकार सं० 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश हुये गैर निगराकार सं० 02 की ओर से प्रारंभिक आपत्तियां दिनांक 26.02.2018 को पेश की। गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से जवाब दिनांक 12.03.2018 को पेश किया।

ग्राम पंचायत की पत्रावली सं० 157 संवत् 2044 पट्टा सं० 79 दिनांक 29.02.1988 सचिव, ग्राम पंचायत आटूण से तलब की गयी। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आटूण ने पत्र क्रमांक/2018-19/23 दिनांक 04.06.2018 में अंकित किया कि वर्ष

2002 से पूर्व का कोई रेकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। रेकॉर्ड के संबंध में एफ.आई. आर. सदर थाना भीलवाड़ा में दर्ज करवायी है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये विपक्षी सं० 1 द्वारा विपक्षी सं० 2 के पक्ष में जारी बापी पट्टे पत्रावली सं० 157 संबत 2044 दिनांक 28.03.1987 को विधि विरुद्ध होने से अपास्त कराने की प्रार्थना की है। निगरानी के समर्थन मे विधिक दृष्टान्त 2016(3) DNJ P.No. 1202 से 1205, 2017(2) DNJ P.No. 668 से 671, 2018(1) DNJ P.No. 111 से 114, 2018(2) DNJ (Raj) P.No. 497 से 505, 2017(2) DNJ (Raj) P.No. 730 से 733, 2016(4) DNJ (Raj) P.No. 1799 से 1801 प्रस्तुत किये है।

गैर निगराकार सं० 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत आटूण की आबादी भूमि 1491 में भूखण्ड सं० 68 का बापी पट्टा नियमानुसार गैर निगराकार सं. 01 द्वारा जारी किया है। उक्त भूखण्ड के समीप निगराकार की कृषि आराजियात होने से एवं कृषि आराजियात के पास ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पडत पर निगराकार द्वारा नाजायज कब्जा कर लेने से भूखण्ड सं० 68 पर नाजायज कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गैर निगराकार द्वारा दीवानी विविध एक प्रा० पत्र प्रकरण सं० 21/17 ई.दी. ग्राम न्यायालय सुवाणा में भी पेश कर रखा है जिसमें न्यायालय द्वारा विवादित भूखण्डों की मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये है। निगराकार की निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की है। निगरानी के खण्डन में विधिक दृष्टान्त 2008(2) DNJ(Raj) 735, 2018(1) WLC(Raj) UC 350 प्रस्तुत किये है।

गैर निगराकार सं० 01 ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार सं० 02 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया है। गैर निगराकार सं. 02 जो पट्टा दर्शा रहा है, वह पट्टा ग्राम आटूण की आराजी सं. 491 एवं 1491 में है जबकि आराजी सं. 491 ग्राम पंचायत आटूण की भूमि नहीं है। यह भूमि जगन्नाथ पुत्र डूंगर सिंह के खातेदारी की भूमि है। ग्राम पंचायत किसी खातेदारी की भूमि में पट्टा जारी नहीं कर सकती है और जारी भी नहीं किया है। विपक्षी सं. 01 ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी सं. 02 के पक्ष में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। जब पट्टा ही जारी नहीं किया गया है तो फिर पट्टा नियमों के अनुसार जारी हुआ या नहीं यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। गैर निगराकार सं. 02 ने फर्जी पट्टा तैयार किया है। विपक्षी सं० 02 के पिता तखतसिंह पुत्र श्री जोधसिंह निवासी आटूण सन 1987-1988 में ग्राम पंचायत आटूण के सरपंच रहे है। विपक्षी सं० 02 ने अपने पिता के फर्जी हस्ताक्षर कर पट्टा सं० 78 व 79 बना लिया है। निगराकार ने निगरानी में विपक्षी सं० 02 के नाम जारी पट्टा सं० 79 पत्रावली सं० 157/2044 दिनांक 28.03.1987 पट्टा जारी दिनांक 29.02.1988 को निरस्त कराये जाने की प्रार्थना की है।

उभयपक्षों अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। ग्राम पंचायत आटूण के पत्रांक/24 दिनांक 04.06.2018 अनुसार पट्टा सं. 79 मिसल सं. 157 सवंत् 2044 की पत्रावली ग्राम पंचायत आटूण में उपलब्ध नहीं होना अंकित किया है। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा प्रस्तुत मूल बापी पट्टा सं. 79 दिनांक 29.02.1988 में कांट छांट



जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

है। नाम व पिता के नाम में भी काट छांट है तथा आराजी नम्बर में भी काट छांट है। यदि इस प्रकार का कोई पट्टा विपक्षी सं० 1 द्वारा विपक्षी सं० 2 के नाम विधिवत जारी किया जाता तो पट्टे में की गई काट छांट में विपक्षी सं० 1 के पदाधिकारियों के लघु हस्ताक्षर एवं पंचायत की मोहर अंकित होती। गैर निगराकार सं० 01 ग्राम पंचायत ने अपने जवाब में अंकित किया कि गैर निगराकार सं० 02 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया है। गैर निगराकार सं. 02 जो पट्टा दर्शा रहा है, वह पट्टा ग्राम आटूण की आराजी सं. 491 एवं 1491 में है जबकि आराजी सं. 491 ग्राम पंचायत आटूण की भूमि नहीं है। यह भूमि जगन्नाथ पुत्र डूंगर सिंह के खातेदारी की भूमि है। ग्राम पंचायत किसी खातेदारी की भूमि में पट्टा जारी नहीं कर सकती है और जारी भी नहीं किया है। विपक्षी सं. 01 ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी सं. 02 के पक्ष में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। विपक्षी सं० 02 के पिता तखतसिंह पुत्र श्री जोधसिंह निवासी आटूण सन 1987-1988 में ग्राम पंचायत आटूण के सरपंच रहे हैं। गैर निगराकार सं. 02 के नाम पर जारी पट्टा सं. 79 दिनांक 29.02.1988 में नाम व पिता के नाम में तथा आराजी नम्बर में काट छांट होने व कटिंग पर प्रमाणित हस्ताक्षर नहीं होने से पट्टा सं. 79 दिनांक 29.02.1988 निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

आदेश

निगराकार की निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत आटूण स्वीकार की जाती है। गैर निगराकार सं. 02 के नाम पर जारी पट्टा सं. 79 दिनांक 29.02.1988 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत आटूण को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भिलवाड़ा